

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रमा शर्मा, व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, संस्कृत, राबाउमावि. माण्डल, भीलवाड़ा जन्म तिथि 13.10.1963 ने दिनांक 28.06.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.10.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्रीमती रमा शर्मा, व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, संस्कृत, राबाउमावि. माण्डल, भीलवाड़ा पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्राधानान्तर्गत इनकी दिनांक 01.10.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रमा शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।



(नथमल डिडेल)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्वै.से.नि./2015-16/2018 दिनांक: 24/9/18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II) भीलवाड़ा
6. प्रधानाचार्य, राबाउमावि. माण्डल, भीलवाड़ा
7. श्रीमती रमा शर्मा, व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, संस्कृत, राबाउमावि. माण्डल, भीलवाड़ा ( वरि0अ0 पद के वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष - 451 / 1986-90 डीपीसी चयन वर्ष 2012-13)
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर